

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57/2020 (2020/00124)

अपीलान्त :-

बाबूसिंह पुत्र मूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव कागनाड़ा, पटवार हल्का सुभदण्ड, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

रेस्पोडेन्ट्स :-

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी सुभदण्ड तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.10.2020 जो नायब तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 18/2020 बअनवान राज्य सरकार बनाम बाबूसिंह में अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया।

उपस्थिति :-

अधिवक्ता श्री मोतीसिंह व करणसिंह राजपुरोहित (अपीलार्थी)।

—: आदेश :- दिनांक :- 30.11.2022

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 22.10.2020 जो नायब तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 18/2020 बअनवान राज्य सरकार बनाम बाबूसिंह में अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया के विरुद्ध पेश की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपीलान्त अभिभाषक की बहस दिनांक 29.11.2022 को सुनी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि पटवार हल्का सुभदण्ड ग्राम कागनाड़ा के खसरा संख्या 82 की सरकारी भूमि 0.16 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ पर अतिक्रमण बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार लूणी ने अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम



के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली का नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने नोटिस की पालना में दिनांक 18.09.2020 को जवाब प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि उक्त भूमि खसरा संख्या 82 की नहीं होकर आबादी क्षेत्र की है एवं पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से उनका पुश्तैनी निवास है। अपीलान्ट द्वारा कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं अपीलान्ट के विरुद्ध दर्ज कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्देशों के प्रतिकूल है। अपीलान्ट का पुश्तैनी मकान ध्वस्त किया जाता है तो अपीलान्ट एवं उसका परिवार बेघर हो जायेगा। नायब तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 22.10.2020 को बिना सूचना एवं सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को अपने पुश्तैनी मकान से बेदखल करने एवं मकान का कब्जा राज करने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलान्ट का पुश्तैनी मकान आबादी भूमि पर है परन्तु पटवारी द्वारा 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी पुश्तैनी जायदाद को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण बताकर प्रकरण दर्ज कर विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी0 बी0 रिट अवमानना संख्या 834/2017 में दिनांक 08.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए बतलाया कि ऐसे व्यक्ति जो पैतृक रूप से भूमि पर काबिज है एवं बहुत ही पुराना कब्जा है यदि उनका कब्जा किसी प्रतिबंधित भूमि पर है तो उन्हें सरकार द्वारा आबादी भूमि में अन्य भूमि उपलब्ध करवाकर ही हटाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय का अवलम्ब किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधिसंगत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस के अन्त में बतलाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी0 बी0 रिट संख्या 233/2020 जगदीश बनाम राजस्थान राज्य में अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को प्रतिबन्धित भूमि पर निर्मित मकान से हटाने से पूर्व इस बात का विस्तृत सर्वे करवाये कि ऐसे व्यक्ति के पास अन्य कोई भूमि आबादी क्षेत्र में उपलब्ध है या नहीं और यदि मकान बने हुए है तो उन्हें हटाने की स्थिति में राज्य सरकार उन्हें मकान उपलब्ध कराने के उपरान्त ही हटा सकती

है। अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की।

हमने अपीलान्त अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पक्का मकान बना हुआ है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया गया जिसमें अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सर्वे रिपोर्ट मंगवाने हेतु आग्रह किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी के जवाब की विवेचना किए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। नायब तहसीलदार लूणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0 बी0 रिट संख्या 233/2020 जगदीश बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश की पालना किए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 18/2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करके एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।